REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225361 CG-DL-E-23022021-225361

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] No. 765] नई दिल्ली सोमवार, फरवरी 22, 2021/ फाल्गुन 3, 1942 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/ PHALGUNA 3, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

का.आ. 833(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 129ए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
ए129	137	मणिपुर राज्य में रेंगपांग के निकट रारा 37 -के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर

तालिका

खोंगसांग, तमेंगलोग (टेंगलोंग), नामतिरम, अजुरम, हंगरूम, लिसांग को जोड़ने वाला और
असम राज्य में हेवांगबेरम 27 - के निकट रारा (महुर)के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने
वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, रत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 657(अ), दिनांकित 12 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/7/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2021

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 129A and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
129A		The highway starting from its junction with NH-37 near Rengpang connecting Khongsang, Tamenglong (Tenglong) , Namtiram, Azuram in the State of Manipur, Hangrum, Lisang and terminating at its Junction with NH -27 near Hewangberam (Mahur) in the State of Assam.

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification no. S.O. 657 (E), dated 12th February, 2021.

[F. No. NH-14012/7/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

2

[PART II—SEC. 3(ii)]